

प्रभु

डॉ० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3,

देहरादून: दिनांक: 15 जनवरी, 2014

विषय: विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों में शहीद हुये सैनिकों की विधवाओं एवं युद्ध अपंग सेवा मुक्त हुये सैनिकों को पूरे जीवनकाल में एक बार अनुमन्य आवासीय सहायता रू०-1.00 लाख को दुगना किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीवदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2014/आवासीय सहायता/सै०क०-3, दिनांक-10 अक्टूबर, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों में शहीद हुये सैनिकों की विधवाओं एवं युद्ध अपंग सेवा मुक्त हुये सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से पूरे जीवनकाल में एक बार अनुमन्य "आवासीय सहायता" की धनराशि में निम्न तालिका के अनुसार अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	पूर्व में देय सहायता	वर्तमान में देय सहायता
1.	रू०-1,000,00/-प्रति लाभार्थी	रू०-2,000,00/-प्रति लाभार्थी
1.	उक्त बृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी, पूर्व में स्वीकृत लाभार्थियों को किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता अनुमन्य नहीं होगी।	
2.	समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों से लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर नियमानुसार वरीयता सूची निर्मित कर सहायता प्रदान की जायेगी, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।	
3.	यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी ने राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किसी अन्य योजना से इस हेतु पूर्व में सहायता न प्राप्त की हो।	
4.	शेष शर्तें एवं प्राविधान शासनादेश-429/XVII(2)/2006&09(42)/2007, दिनांक-05 दिसम्बर, 2007 के अनुसार ही लागू रहेंगे।	
5.	यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-08/XXVII(1)/14 दिनांक 09.01.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।	

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

3

- 2 -

संख्या: 20 /XVII-3/13-09(42)/2007 : तददिनांक:

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 10. राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,



(जी०एस० भाकुनी)

अनु सचिव।